

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

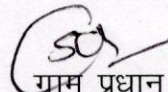
जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)-तुसरेरा-ठांगा मोटर मार्ग वास्तविक लम्बाई 7.00 कि.मी. के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से तय किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं उक्त भूमि को लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

बैठक में यह भी तय किया गया है आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थान:- तुसरेरा

दिनांक:- 2.12.14

ह0



ग्राम प्रधान/सरपंच

ग्राम पंचायत ठांगा

वि0 ख0 ब जनपद बागेश्वर

वि0 ख0 ब जनपद बागेश्वर

नोट- परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाय। उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

वन पंचायत की बैठक की कार्यवाही

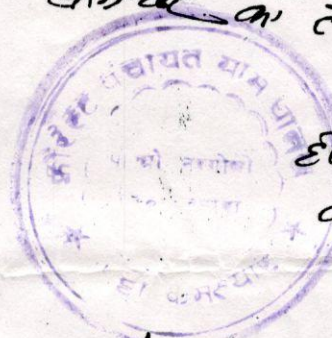
अधिवक्ता अधिवक्ता-प्रणीत खंड जो कि के बोर्ड के
अपने पत्रों के 26/11/15 दिनांक 02-08-2015 को स्वीकृत किया है।
देवीगा (दवापुर) बुलरो-दोगा कोट मर्ग के संशोधन के वन पंचायत
दानव की लुटि आ रही है। इस मर्ग का प्रभाव और नोट
जाना है। जिस अधिवक्ता कार्यवाही को वन पंचायत का
अनुमति प्रमाणपत्र मध्य बैठक के पावेन प्रभाव की सीमा रहित के उद्देश्य
निर्दिष्ट किया गया है।

आज दिनांक 2-9-2015 को वन पंचायत दानव की बैठक
की बैठक की कार्यवाही निर्दिष्ट हुआ है। इस मर्ग के प्रभाव और नोट
पंचायत निर्देश के सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। तब निर्णय के 45
को एक साथ बना दिया गया कि कोट मर्ग का निर्माण तब के मध्य
है और कोट मर्ग निर्माण के बाद, वन पंचायत कार्य 2.2
को दबावपूर्ण करने के को 5 वर्षों में करी है।

प्रभाव के निर्माण के लिए दिया गया 10 सप्तेच के लिए
के अधिवक्ता किया गया कि इस प्रभाव की एक सीमा अधिवक्ता
अधिवक्ता-प्रणीत खंड जो कि के बोर्ड के लोडन कार्यवाही के
प्रभाव मध्य।

सदस्यों के दानव

1. प्रतापराय
2. खंडक राय
3. दीपा देवी
4. दहली देवी
5. भसुली देवी



निर्माण कार्यवाही
डी. लोडन
वन पंचायत दानव

अधिवक्ता अधिवक्ता-प्रणीत खंड जो कि के बोर्ड के
को प्रभाव एवं लोडन कार्यवाही के उद्देश्य

निर्माण कार्यवाही
डी. लोडन
वन पंचायत दानव

वन पंचायत की बैठक की कार्यवाही

अध्यापिका अधिपता- प्रतीय एवं डी. डी. के कोषाध्यक्ष
 उपेक पनाक ने 12 नवम्बर दिनेक 18-2015 को सत्रिका किया है।
 डी. डी. (अध्यापिका) - प्रतीय ने 12 नवम्बर को सत्रिका के वन पंचायत
 - प्रतीय की कार्यवाही है। उक्त कार्य का प्रभाव और नतीजा के
 जाना है। नोट्स अधिकाधिक कार्यवाही और वन पंचायत का
 अध्यापिका प्रजापति प्रय कोष के पाठ्यपुस्तक की डी. डी. फाइल के डी. डी.
 निदेशिका किया गया है।

आज दिनेक 17-10-2015 को वन पंचायत कराडियागा 119 को वन
 कोष की गरी निदेशिका उक्त प्रभाव के प्रभाव और नतीजा एवं वन
 पंचायत निदेशिका के सत्रिका के पाठ्य चर्चा की गयी, एवं निदेशिका के 42
 एवं सत्रिका का वन की गयी। कि कोष का निदेशिका के सत्रिका के सत्रिका
 है वन कोष का निदेशिका के वन, वन वन पंचायत प्रतीय कोष का निदेशिका
 का निदेशिका के वन के वन का निदेशिका है।

प्रभाव का निदेशिका के वन दिनेक दिया गया एवं सत्रिका के निदेशिका
 के अधिकाधिक किया गया कि उक्त प्रभाव की एक डी. डी. अधिकाधिक
 अधिकाधिक- प्रतीय एवं डी. डी. के कोषाध्यक्ष के निदेशिका के वन का निदेशिका है
 के वन का निदेशिका है।

वन पंचायत प्रतीय के निदेशिका
 1- वन पंचायत

2- निदेशिका के

3- निदेशिका के अधिकाधिक अधिकाधिक- प्रतीय एवं डी. डी. के कोषाध्यक्ष
 4- निदेशिका के निदेशिका के वन का निदेशिका है।

5- निदेशिका

6- निदेशिका

7-

कोषाध्यक्ष
 सत्रिका
 वन पंचायत
 प्रतीय एवं डी. डी.
 वन पंचायत

कोषाध्यक्ष
 सत्रिका
 वन पंचायत
 प्रतीय एवं डी. डी.
 वन पंचायत